रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 10] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 1997/फाल्गुन 29, 1918
No.10] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 1997/PHALGUNA 29, 1918

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1997

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1997

सं० भा०रा०रा०प्रा०/12011/12/95-प्रशासन.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा-9 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एतद्द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों या कर्मचारियों की यात्रा रियायत की पात्रता विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

1. इन विनियमों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 1997 कहा जाएगा ।
2. ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. लागू होना :

ये विनियम प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्होंने प्राधिकरण में नियमित रूप से एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, परन्तु यह कि प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने के छः माह की अविध के भीतर इन विनियमों के अधीन यथा स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत अथवा उनके पुराने संगठन में उन्हें प्राप्य यात्रा रियायत सुविधा, जो भी उनके लिए अधिक अनुकूल हो, में से किसी एक को चुनने की विकल्प प्राप्त होगा किन्तु जहां किसी कर्मचारी ने स्वयं अथवा अपने परिवार के सम्बन्ध में किसी ब्लाक वर्ष की छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाएं पहले ही अपने मूल कार्यालय में प्राप्त कर ली हों, वहां कर्मचारी अथवा उसका परिवार,प्राधिकरण से उस ब्लाक वर्ष की छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

3. परिभाषा :

इन विनियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) ''ब्लाक'' से अभिप्राय वही है जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 8 में दिया गया है।

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय, अध्यक्ष अथवा उस सदस्य या अधिकारी से है जिसे इन विनियमों के अधीन इस सम्बन्ध में प्रयोज्य शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

(ग) "रियायत" से अभिप्राय इस विनियमों के अधीन किसी अधिकारी या कर्मचारी को स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत से है।

(घ) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्राय वही है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 1996 में दिया गया है।

(ङ) "परिवार" से अभिप्राय किसी अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, जैसी स्थिति हो, उसका अथवा उसकी वैध सन्तान और सौतेले बच्चे, माता, पिता, सौतेली मां, अविवाहित बहनें और अवयस्क भाई, जो पूर्णत: अधिकारी या कर्मचारी पर आश्रित हों, से है।

(च) "मूल निवास स्थान" से अभिप्राय उस कस्बे, गांव या किसी अन्य स्थान से है जो अधिकारी या कर्मचारी द्वारा घोषित किया गया हो और विनियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

(छ) "अधिकारी या कर्मचारी" से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो प्राधिकरण की पूर्णकालिक सेवा में हो और उसने प्राधिकरण में एक वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।

4. मूल निवास स्थान की घोषणा

1. प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर अथवा प्राधिकरण की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर अथवा छुट्टी यात्रा रियायत लेने से पहले, जो भी पहले हो, सक्षम प्राधिकारी को अपने मूल निवास स्थान के रूप में अपने कस्बे, गांव या किसी दूसरे स्थान की घोषणा करेगा और सक्षम प्राधिकारी ऐसी घोषणा को स्वीकार करेगा।

2. उप-नियम (1) के अधीन की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत घोषणा को अन्तिम समझा जायेगा किन्तु अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी, इस घोषणा को पर्याप्त कारणों के आधार पर इन्हें लिखित रूप में दर्ज करते हुए मूल निवास स्थान सम्बन्धी घोषणा में परिवर्तन कर सकता है किन्तु इस प्रकार का परिवर्तन अधिकारी या कर्मचारी के सेवाकाल में एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा।

5. रियायत का प्रकार और उसकी स्वीकार्यता

1. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर, कोई अधिकारी या कर्मचारी निम्नलिखित प्रयोजन के लिए स्वयं के लिए अथवा अपने परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में रियायत प्राप्त कर सकता है :—

(क) दो वर्ष के ब्लॉक में एक बार मूल निवास स्थान जाने के लिए और चार वर्ष के ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर भ्रमण करने के लिए : परन्तु यह कि अधिकारी या कर्मचारी अथवा उसके परिवार का सदस्य भारत में किसी स्थान पर जाने के बदले में मूल निवास स्थान का भ्रमण कर सकता है।

2. यह रियायत किसी अधिकारी या कर्मचारी को उस स्थिति में प्राप्त होगी जब वह किसी भी प्रकार की छुट्टी लेकर जाता है और जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ नहीं जाता है, वहां रियायत उस स्थिति में भी प्राप्य होगी भले ही उसे कोई छुट्टी मंजूर न की गई हो।

3. यदि यह रियायत मूल निवास स्थान जाने अथवा भारत में किसी भी स्थान का भ्रमण करने के लिए उस ब्लॉक वर्ष में नहीं ली जाती है जिसमें यह देय थी तो इसे अगले दो वर्ष अथवा चार वर्ष, जैसी भी स्थिति हो के ब्लॉक के पहले वर्ष में अग्रेनीत किया जाएगा और इसके बाद यह समाप्त हो जाएगी।

6. पात्रता

1. रेल द्वारा यात्रा

अधिकारी या कर्मचारी रेल द्वारा यात्रा करने का पात्र होगा और उसकी रेल से यात्रा करने की श्रेणी की पात्रता केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के नियम 4 के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

2. वायुयान द्वारा यात्रा

अधिकारी या कर्मचारी उन स्थानों के बीच वायुयान से यात्रा कर सकता है जो रेल से न जुड़े हों अथवा यदि ये स्थान रेल से जुड़े हों, तो इनसे यात्रा करना अधिक खर्चीला पड़ता हो।

7. प्रतिपूर्ति

अधिकारी या कर्मचारी को इस रियायत की प्रतिपूर्ति लघुतम मार्ग से उसके द्वारा टिकट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गई यात्रा के आधार पर की जाएगी और इसमें स्थानीय खर्चे अथवा स्थानीय यात्रा पर किया गया व्यय शामिल नहीं होगा।

8. दावा प्रस्तुत करना

1. यदि अधिकारी या कर्मचारी ने अग्रिम लिया हो तो वह वापसी यात्रा पूरी करने के एक माह के भीतर आवश्यक विवरण सहित किराये का ब्यौरा देते हुए रियायत के लिए उपना दावा प्रस्तुत करेगा जिसके साथ वह इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसने अथवा उसके परिवार अथवा दोनों ने वास्तव में यात्रा की है और यदि कोई अग्रिम न लिया गया हो तो उस स्थिति में वह तीन माह के भीतर दावा प्रस्तुत करेगा।

2. यदि अधिकारी या कर्मचारी उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका दावा प्रतिपूर्ति के लिए मान्य नहीं होगा और यदि उसे इसके निल कोई अग्रिम मंजूर किया गया हो तो उसकी सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली की जाएगी।

9. अग्रिम की मंजूरी

1. किसी अधिकारी या कर्मचारी को यात्रा पर होने वाले अनुमानित व्यय का 4/5 भाग से अधिक का अग्रिम न दिया जाए।

2. जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी ने उप-विनियम (1) के अधीन अग्रिम लिया हो और वह अग्रिम लेने की तारीख से 30 दिन के भीतर यात्रा प्रारम्भ करने में असमर्थ रहता है तो वह तुरंत ही अग्रिम की राशि एकमुश्त रूप में वापस करेगा।

10. छुट्टी यात्रा रियायत का झूठा दावा

1. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध रियायत के लिए झूठा दावा प्रस्तुत करने का आरोप लगाकर उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को तब तक रियायत नही दी जाएगी जब तक अनुशासनिक कार्रवाई पूरी नही हो जाती है।

2. यदि अनुशासनिक कार्रवाई परिणाम के स्वरूप, अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसे अनुशासनिक कार्रवाई के दौरान पहले से रोकी गई रियायत के अतिरिक्त अगले दो सैटों के लिए रियायत की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. यदि अधिकारी या कर्मचारी को रियायत का झूठा दावा प्रस्तुत करने के आरोप में पूर्णत: दोषमुक्त पाया जाता है तो उसे इससे पहले रोकी गई रियायत प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए मूल निवास स्थान और भारत में किसी अन्य स्थान के लिए रियायत के दो सेटों के अन्तर्गत होगी।

11. छूट देने की शक्ति

विनियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित बातों को छोड़कर, यदि अध्यक्ष यह समझतें है इन विनियमों में से किसी को लागू करने के कारण किसी विशेष मामले में अनावश्यक कठिनाई उत्पन होती है वह आदेश द्वारा, लिखित रूप में औचित्य देते हुए उक्त विनियम की उपेक्षाओं मे उस सीमा तक और उन अपवादों तथा शर्तों के अधीन छूट या उनमें ढील दे सकते हैं जितना वह उचित और समयावधि के अनुसार मामले के निपटान के लिए आवश्यक समझें।

12. अन्य मामले

ऐसे अन्य मामले जिनके सम्बन्ध में इन विनियमों के अधीन कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं किया गये हैं, केन्द्रीय सरकारी द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 के उपबन्धों और इसके अधीन जारी आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

13. निर्वचन

यदि इन विनियमों की व्याख्या से सम्बन्धित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो उसके सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

आर. एल. कौल, सदस्य

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA (LEAVE TRAVEL CONCESSION) REGULATIONS, 1997

New Delhi, the 11th March, 1997

No. NHAR/12011/12/95-Admn.—In exercise of the powers conferred by section 35 read with Sub-section (1) of section 9 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations, specifying the entitlement of travel concession of the officers and employees of the Authority, namely :—

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Leave Travel Concession) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :

These regulations shall apply to all officers and employees in whole-time employment of the Authority who have completed one year of continuous and regular service in the Authority :

Provided that the persons appointed on deputation shall have the option to be exercised within six months of joining service of the Authority, to choose between leave travel concession as admissible under these regulations or that admissible to them under their parent organisation whichever is more favourable to the, but no such person shall be entitled to avail of the concession from the Authority for himself or for his family for the duration of a block in which he or any member of his family has already availed of the concession under this parent organisation during that block.

3. Definitions :

In these regulations, unless the context otherwise requires :

(a) "block" has the same meaning as in rule 8 of the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules 1988;

(b) '' competent authority'' means the Chairman or any Member or any officer to whom powers exercisable under these regulations have been delegated in this behalf;

(c) ''concession'' means the leave travel concession admissible to an officer or employee under these regulations;

(d) ''disciplinary authority'' has the same meaning as in the National Highways Authority of India (Conduct, Discipline and Appeal) Regulations, 1996;

(e) ''family'' means an officer or employees's wife or husband, as the case may be, his or her legitimate children and step-children, parents, step-mother, unmarried sisters and minor brothers, wholly dependent upon the officer or employee;

(f) "home town" means the town, village or any other place declared as such by the officer or employee and accepted by the competent authority under regulation 4;

(g) "officer or employee" means a person who is in the wholetime employment of the Authority and has completed one year of continuous and regular service within the Authority.

4. Declaration of home town :

(1) Every officer or employee shall within a period of six months from the date of commencement of these regulations or within a period of six months from the date of his joining the service of the Authority or before availing of the concession, whichever is earlier, make a declaration to the competent authority, a town, village or any other place in India as his home town, and the competent authority shall accept such declaration.

(2) A declaration made under sub-regulation (1) and accepted by the competent authority shall be final, but at the request of the officer or employee for adequate reasons, the competent authority may, for reasons to be recorded in writing, change the home town, provided that such a change shall not be effected more than once during the entire period of service of the officer or employee.

5. Type of concession and their admissibility :

(1) Subject to the approval of the competent authority, an officer or employee may avail of the concession for himself and the members of his family :

(a) to visit his home town once in a block of two years ; and

(b) to visit any place in India once in a block of four years.

Provided that an officer or employee or the members of his family may, in lieu of visiting any place in India, visit the home town.

(2) The concession shall be admissible to an officer or employee when he proceeds on any kind of leave and where the officer or employee does not accompany the members of his family, the concession shall be admissible even if no leave has been granted to the officer or employee.

(3) The concession to visit home town or any place in India, if unutilised during the block year for which it was due, may be carried forward to the first year of the next block of two years or four years, as the case may be, and thereafter it shall lapse.

6. Entitlement :

(1) Journey by rail:—An officer or employee shall be entitled to travel by rail and entitlement of class of accommodation shall be determined on the basis of rule 4 of the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988.

(2) Journey by air : An Officer or employee may travel by air between places not connected by rial or though connected by rail, Journey by such connection is more expensive.

7. Reimbursement :

Reimbursement of the concession shall be allowed on the basis of point to point journey on a through ticket over the shortest route and shall not cover incidental expenses or expenditure on local journey.

8. Submission of claim :

(1) The officer or employee shall prefer his claim for reimbursement of the fare paid by him for the concession together with necessary details alongwith a certificate that he or his family, or both, actually performed the journey within one month of the completion of the return journey, if advance has been taken by him and where on advance has been drawn within three months.

(2) If an officer or employee does not submit his claim within the period specified in sub-regulation (1), his claim for reimbursement shall be forfeited and the advance granted to him, if any, shall be recovered from him.

9. Grant of advance :

(1) Advance not exceeding four fifth of the estimated expenditure on journey may be granted to an officer or employee.

(2) Where advance has been drawn under sub-regulation (1), and the officer or employee fails to commence the onward journey within thirty days of the drawal of advance, he shall refund the advance drawn forthwith in one lumpsum.

10. Fraudulent claim of leave travel concession :

(1) If a decision is taken by the disciplinary authority to initiate disciplinary proceedings against an officer or employee on the charge of preferring a fraudulant claim of the concession, such officer or employee shall not be allowed the concession till the finalisation, of such disciplinary proceedings.

(2) If the disciplinary proceeding results in imposition of any penalty, the officer or employee shall not be allowed the next two set of the concession in addition to the sets already withheld during the pendency of the disciplinary proceedings.

(3) If the officer or employee is fully exonerated of the charge of fraudulent claim of the concession, he shall be allowed to avail of the concession withheld earlier.

Explanation :

For the purpose of this regulation, the concession to home town and to any place in India shall constitute two sets of the concession.

11. Power to relax :

Save as otherwise provided in these regulations, where the Chairman is satisfied that the operation of any of these regulations causes undue hardship in any particular case, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirement of that regulation to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

12. Residuary matters :

Matters with respect to which no specific provisions have been made in these regulations shall be regulated under the provisions of the Central Civil Services (Leave Travel Concession Rules, 1988 as amended from time to time and the instructions issued thereunder by the Central Government.

13. Interpretation :

If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Chairman who shall decide the same.

723 GI/97-2

R.L. KOUL, Member